संख्या-13/2018/3409/पॉच-6-18-32(नि0)/14

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामु0स्वा0केन्द्र, गंजमुरादाबाद एवं रसूलपुररूरी जनपद उन्नाव के भवन निर्माण (चालू अंश जिला योजना) हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6226/17फ/नि0नि0अ0/2018-19, दिनांक 25.10.2018, अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-5334/17फ/नि0नि0अ0/2018-19, दिनांक 17.07.2018 व पत्र संख्या-5429/17फ/ नि0नि0अ0/ 2018-19, दिनांक 20.07.2018 तथा मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-32/2016/311/पांच-6-2016-32(नि0)/14, दिनांक 03.02.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2016 के द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, गंजमुरादाबाद एवं रसूलपुररूरी जनपद उन्नाव के भवन निर्माण हेतु रू0-477.81 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक हेतु रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0 1167.32 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार व पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामु0स्वा0केन्द्र, गंजमुरादाबाद एवं रसूलपुररूरी जनपद उन्नाव के भवन निर्माण (चालू अंश जिला योजना) हेतु संलग्न तालिका के कॉलम-5 के अनुसार पुनरीक्षित लागत रू0 1167.32 लाख (रूपया ग्यारह करोड़ सरठड़ लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. **वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-32/2016/311/पांच-6-2016-32(नि0)/14, दिनांक 03.02.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **पुनरीक्षित प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
4. प्रायोजना की मूल मानकीकृत लागत वर्ष 2014 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित थी। सामु0स्वा0केन्द्र, गंजमुरादाबाद के भवन निर्माण का कार्य दिसम्बरर, 2016 में तथा सामु0स्वा0केन्द्र रसूलपुर रूरी का निर्माण कार्य अप्रैल, 2016 में प्रारम्भ किया गया, इस बीच श्रमिक एवं सामग्री दरों में वृद्धि के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पुनरीक्षित प्रायोजना का गठन वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर विस्तृत आगणन के रूप में गठित किये जाने एवं निर्माण स्थल की आवश्यकतानुसार कुर्सी तल की अतिरिक्त ऊचाई सी0सी0 रोड, बाउण्ड्रीवाल एवं मिट्टी भराई का अतिरिक्त प्रावधान किये जाने के कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया।
5. प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है, जिसे व्यय वित्त समिति के निर्देशों के क्रम में फिलहाल अनुमन्य नहीं किया गया हैा प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानसुार देय होगी।
6. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया हैा जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की होगी।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/विरावृत्ति न हो तथा जिस शीर्षमद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
9. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
13. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

14. प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

15. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते आदि में नहीं रखी जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-2532/दस-18 दिनांक 08 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-13/2019/3409(1)/पॉच-6-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8- मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ।
9- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ/उन्नाव।
10-वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग9-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
1- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-13/2019/3409/पांच-6-2018-32(नि0)/14 तददिनांक 11 जनवरी, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद	सामु0स्वा0 केन्द्र का नाम	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	पीएफएडी द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	उन्नाव	गंजमुरादाबाद	150.00	582.07
2	उन्नाव	रसूलपुररूरी	150.00	585.25
		योग-	300.00	1167.32

(रू0 ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख बत्तीस हजार मात्र)

हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।